



प्रेस नोट
थाना दोघट दिनांक

29.07.2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 189/22 धारा 147/148/149/307/302 भादवि में वांछित एक नामजद अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26/07/2022 को वादी श्री अजेन्द्र उर्फ भारत पुत्र राजपाल निवासी ग्राम मौजिजाबाद नांगल थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अंकित 2.निकित पुत्रगण नेत्रपाल 3.प्रदीप 4.अनुज पुत्रगण कल्याण 5.विकास उर्फ रूडा पुत्र सुनील



6.कल्याण पुत्र जिले सिंह 7.नेत्रपाल पुत्र भीमसिंह निवासीगण मौजिजाबाद नांगल थाना दोघट व 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके भाई शुभम उर्फ मृगेन्द्र व उसके साथ जान से मारने की नीयत से सरिया व लाठी से मारपीट की व तमंचो से फायर कर उसके भाई शुभम की हत्या कर दी । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 189/22 धारा 147/148/149/307/302 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 189/22 धारा 147/148/149/307/302 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना दोघट पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-अनुज पुत्र कल्याण सिंह निवासी मौजिजाबाद नांगल थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक जनक सिंह चौहान थाना दोघट।

2- उ0नि0 श्री मनीष कुमार।

3-का0 857 सुरेन्द्र।

4-का0 991 नवीन कुमार।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 29.07.2022

गैंगस्टर अधिनियम में आरोपी कृष्णपाल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष 11 माह 17 दिन का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त कृष्णपाल पुत्र सूबे सिंह निवासी ग्राम बुढ़सैनी थाना बालैनी जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बालैनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 78/1999 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 29.07.2022 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / न्यायालय सं0-05 विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त राहुल को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में 02 वर्ष 11 माह 17 दिन का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

1- कृष्णपाल पुत्र सूबे सिंह निवासी ग्राम बुढ़सैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 21/1999 धारा 307 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 51/1999 धारा 302 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 80/1999 धारा 147/148/149/307/302/504/506 भादवि थाना भावनपुर जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0- 381/1999 धारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना लालकुर्ती जनपद मेरठ ।

5-मु0अ0सं0- 78/1999 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 29-07-2022

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 104/22 धारा 308/323/504/506
भादवि से सम्बंधित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.07.2022 को थाना बालैनी पर वादी श्री आशिक अली पुत्र दीन मोहम्मद निवासी ग्राम मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसके ही गाँव के वहीद पुत्र मीरू, शहीद पुत्र यामीन, जुल्फकार पुत्र अलीशान व अलीशान पुत्र अलीमुदीन ने मिलकर उसके साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा जान से मारने की धमकी दी ।

इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 104/22 धारा 308/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0



104/22 धारा 308/323/504/506 भादवि से सम्बंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-जुल्फकार पुत्र अलीशान निवासी ग्राम मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री महकार हुसैन थाना बालैनी ।

2-का0 884 सर्जन सिंह चाहर थाना बालैनी ।

3-का0 980 अरविन्द कुमार थाना बालैनी ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 29.07.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 219/22 धारा 452/323/354ख
भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधो की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 219/22 धारा 452/323/354ख भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



उपरोक्त मुकदमें में विवेचना के दौरान धारा 452 भादवि की वृद्धि की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- कलीराम पुत्र महावीर निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना सिंघावली अहीर ।
2. का0 357 अनुज शर्मा थाना सिंघावली अहीर ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 29.07.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक गाड़ी बुलेरो पिकअप जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 05 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक गाड़ी बुलेरो पिकअप जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 05 पशु बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजिकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-मुकेश पुत्र ओमप्रकाश निवासी गढ़ी



केवल थाना समालखा जनपद सोनीपत हरियाणा ।

2-मारुफ पुत्र मकसूद निवासी बेगा थाना गन्नौर जनपद सोनीपत हरियाणा ।

बरामदगी का विवरण-

- क्रूरतापर्वक भरे हुये 05 पशु ।
- एक गाड़ी बुलेरो पिकअप महिन्द्रा नं0 HR-67C- 7116

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री प्रियवृत ।

2-का0 1130 सोनू तेवतिया ।

3-का0 885 हरिओम ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 29.07.2022

थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-मनीष पुत्र मंशाराम निवासी आजादनगर करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार थाना बडौत ।
- 2- है0का0 165 कुलदीप भाटी थाना बडौत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 29.07.2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 501/22 धारा 366/328/506/376 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 501/22 धारा 366/328/506/376 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उपरोक्त अभियोग की अपहृता को थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 21-07-2022 को बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:

1-फैजान पुत्र हारून निवासी ग्राम रथेडी थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 नरेश कुमार यादव थाना बडौत ।

2-है0का0 65 महीपाल सिंह थाना बडौत ।



**प्रेस नोट
थाना चांदीनगर**

दिनांक

29.07.2022

थाना चांदीनगर पुलिस ने मु0अ0सं0 187/2021 धारा 379/411 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

घटना का विवरण:-

दिनांक 04.10.2021 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री राजवीर पुत्र रतन निवासी ग्राम सरफाबाद थाना चांदीनगर ने सूचना दी कि दिनांक 02/03.10.2021 रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम सरफाबाद के जंगल से दो इंजन मय पम्पिंग सेट व गाटर चोरी कर लिये हैं । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 187/2021 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 187/2021 धारा 379/411 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा पूर्व में चोरी का माल बरामद कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1-तस्लीम उर्फ काले पुत्र अख्तर निवासी धौलड़ी थाना जानी जनपद मेरठ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री धीरज कुमार।

2-का0 433 गौरव कुमार।

3- का0 720 इमरान खान।



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 29.07.2022

थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता:-

1-लाला उर्फ लालसिंह पुत्र नानकचन्द निवासी मौ० सलाहेनगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ०नि० श्री मौ० आसिफ थाना खेकड़ा ।

2-का० 24 तरुण कुमार थाना खेकड़ा ।